

## आदेश और अधिसूचनाएं

- 1.1 वाहन ईंधन विजन और नीति-2025 पर विशेषज्ञ समिति का गठन करने संबंधी आदेश

आर-29011/23/2012-ओआर  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

19 दिसंबर, 2012

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।**

सरकार ने तत्कालीन महानिदेशक, सीएसआईआर, डॉ० आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में 2001 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने देश के लिए अंतिम वाहन ईंधन नीति की सिफारिश की थी। नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि वाहन ईंधन नीति में समय-समय पर संशोधन किए जाने चाहिए। इस अवधि के दौरान हुए प्रौद्योगिकीय और अन्य परिवर्तनों से पूरे देश के लिए एक वाहन ईंधन विजन और नीति बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें वर्ष 2025 के लिए स्पष्ट रूपरेखा दी गई हो। तदनुसार, निम्नलिखित विचारार्थ विषयों को ध्यान में रखते हुए वाहन ईंधन नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है:

- (i) अंतिम वाहन ईंधन नीति, प्रयुक्त वाहनों के उत्सर्जन में कमी, वाहनों की आपूर्ति और ईंधनों की आपूर्ति और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश के लिए 2025 तक वाहन ईंधन गुणवत्ता के लिए रूपरेखा की सिफारिश करना।
- (ii) गैस सहित वाहन ईंधनों के उपयुक्त मिश्रण तथा उसकी विशिष्टियों पर निम्नलिखित पर विचार करते हुए सिफारिश करना;
  - (क) आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और ईंधन आपूर्तियों का संभार-तंत्र,
  - (ख) वाहन ईंधनों की अर्थव्यवस्था की प्रोसेसिंग, और
  - (ग) वाहन इंजन प्रौद्योगिकी में सुधार की तुलना में ईंधन की गुणवत्ता में सुधार।
- (iii) वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वाहन उत्सर्जन मानदण्डों तथा उनके कार्यान्वयन की रूपरेखा बनाने के लिए सिफारिश करना।
- (iv) पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग की सिफारिश करना।
- (v) ऑयल रिफाइनरियों, संभार-तंत्र के अपेक्षित उन्नयन के वित्त-पोषण के लिए वित्तीय उपायों तथा अंतर-ईंधन मूल्य-निर्धारण विसंगतियों को दूर करने की सिफारिश करना।

2. विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

(i)	श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
(ii)	श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग	सदस्य सदस्य
(iii)	प्रो. एल.एम. दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली	सदस्य
(iv)	प्रो. शांतनु रॉय, रसायन इंजीनियरी विभाग, आईआईटी, दिल्ली	सदस्य
(v)	डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरण्डडी), आईओसीएल	सदस्य
(vi)	श्री श्रीकांत आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे	सदस्य
(vii)	डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(viii)	डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई	सदस्य
(ix)	श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल	सदस्य
(x)	श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	सदस्य
(xi)	श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएएम	सदस्य
(xii)	श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी (तकनीकी और सचिवालयी सहायता के लिए)	सदस्य
(xiii)	श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और सचिव प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य

3. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के रैंक से कम के न हो, समिति के पूर्व-पदेन सदस्य होंगे।

- i. पर्यावरण और वन मंत्रालय
- ii. भारी उद्योग विभाग
- iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- iv. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- v. उपभोक्ता कार्य विभाग

4. समिति विभिन्न शेरधारकों के साथ औपचारिक विचार-विमर्श कर सकती है तथा अपने विचार-विमर्श में तकनीकी सहायता हेतु किसी विशेषज्ञ को सह-योजित कर सकती है।

5. समिति को तकनीकी और सचिवालयी सहायता उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. बाहर से आने वाले गैर-सरकारी सदस्य आने-जाने के लिए इकोनॉमी क्लास वायुयान किराया, वाहन और आवास प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्थानीय गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर-सरकारी सदस्यों को प्रति बैठक 5000/- रुपए का सिटिंग शुल्क दिया जाएगा। अन्य आनुषंगिक व्यय सहित उपर्युक्त व्यय को सीएचटी द्वारा अपने बजट में से वहन किया जाएगा।

7. समिति सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट 15 मार्च, 2013 तक तथा अंतिम रिपोर्ट 31 मई, 2013 तक प्रस्तुत करेगी।

हस्ता./-

(पवन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

**प्रतिलिपि:-**

- i. श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग।
- ii. श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- iii. प्रोफेसर एल.एम दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली।
- iv. प्रो. शांतनु रॉय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली।
- v. डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरण्डडी), आईओसीएल।
- vi. श्री शशिकांत, आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे।
- vii. डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- viii. डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई।
- ix. श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल।
- x. श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।
- xi. श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएएम।
- xii. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय।
- xiii. सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- xiv. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
- xv. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग।
- xvi. सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग।
- xvii. श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव, एमओपीएण्डएनजी और सदस्य सचिव।
- xviii. श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी।
- xix. मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/सचिव (पीएण्डएनजी) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (पीएण्डएनजी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- xx. गार्ड फाइल।

आर-29011/23/2012-ओआर  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

4 फरवरी, 2013

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।**

ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2012 के समसंख्यक का.ज्ञा. (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित अधिकारियों को वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए:

- i) अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- ii) निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- iii) निदेशक (विपणन), गेल इंडिया लिमिटेड।
- iv) निदेशक (रिफाइनरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- v) कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन।

हस्ता./-  
(पवन कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार

**सेवा में**

- i) अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- ii) निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- iii) निदेशक (विपणन), गेल इंडिया लिमिटेड।
- iv) निदेशक (रिफाइनरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- v) कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन।

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**

- i. श्री सौमित्र चौधुरी, सदस्य, योजना आयोग।
- ii. श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- iii. प्रोफेसर एल.एम दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली।
- iv. प्रो. शांतनु रॉय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली।
- v. डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरण्डडी), आईओसीएल।

- vi. श्री शशिकांत, आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे।
- vii. डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- viii. डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई।
- ix. श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल।
- x. श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।
- xi. श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएम।
- xii. डॉ. रशीद हसन, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
- xiii. श्री अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग
- xiv. श्री संजय बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- xv. डॉ. एन.एस. धर्मशाक्त, डीडीजी (एनएसजी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- xvi. श्री मनोज पारिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग
- xvii. श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सदस्य सचिव
- xviii. श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी
- xix. मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (पीएंडएनजी) के निजी सचिव/सचिव (पीएण्डएनजी) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (पीएण्डएनजी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- xx. गार्ड फाइल।

आर-29011/23/2012-ओआर  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

30 मई, 2013

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।**

ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2012 और 04.02.2012 के समसंख्यक का.जा. (प्रतिलिपियां संलग्न) के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री आर.के. घोष, निदेशक (रिफाइनेरी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है।

हस्ता./-

(पवन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

vi) श्री आर.के. घोष, निदेशक (रिफाइनेरी), आईओसीएल

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**

- i. श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग।
- ii. श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- iii. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- iv. प्रोफेसर एल.एम दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली।
- v. प्रो. शांतनु रॉय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली।
- vi. डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरएण्डडी), आईओसीएल।
- vii. श्री शशिकांत, आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे।
- viii. डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- ix. डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई।
- x. श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल।
- xi. श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।
- xii. श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएएम।
- xiii. डॉ. रशीद हसन, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय

- xiv. श्री अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग
- xv. श्री संजय बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- xvi. डॉ. एन.एस. धर्मशाक्तु, डीडीजी (एनएसजी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- xvii. श्री मनोज पारिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग
- xviii. श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सदस्य सचिव
- xix. श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी
- xx. निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- xxi. निदेशक (विपणन), गेल इंडिया लिमिटेड
- xxii. निदेशक (रिफाइनरी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- xxiii. कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन
- xxiv. मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/सचिव (पीएण्डएनजी) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (पीएण्डएनजी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- xxv. गार्ड फाइल।



आर-29011/23/2012-ओआर  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

3 जून, 2013

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।**

ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2012 के समसंख्यक का.जा. के संदर्भ में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 31.08.2013 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

हस्ता./-

(पवन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- i. श्री सौमित्र चौधुरी, सदस्य, योजना आयोग।
- ii. श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- iii. श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सदस्य सचिव
- iv. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- v. डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरएण्डडी), आईओसीएल।
- vi. निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- vii. श्री आर.के. घोष, निदेशक (रिफाइनेरी), आईओसीएल
- viii. निदेशक (विपणन), गेल इंडिया लिमिटेड
- ix. निदेशक (रिफाइनेरी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- x. प्रोफेसर एल.एम दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली।
- xi. प्रो. शांतनु राय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली।
- xii. श्री शशिकांत, आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे।
- xiii. डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- xiv. डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई।
- xv. श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल।
- xvi. श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।

- xvii. श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएम।
- xviii. डॉ. रशीद हसन, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
- xix. श्री अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग
- xx. श्री संजय बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- xxi. डॉ. एन.एस. धर्मशाक्तु, डीडीजी (एनएसजी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- xxii. श्री मनोज पारिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग
- xxiii. श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी
- xxiv. कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन
- xxv. मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/सचिव (पीएण्डएनजी) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (पीएण्डएनजी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- xxvi. गार्ड फाइल।

आर-29011/23/2012-ओआर  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

27 जून, 2013

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।**

ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2012, 04.02.2012 और 30.05.2013 के समसंख्यक का.ज्ञा. के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव (रिफाइनेरी), इंडियन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव श्री एल.एन. गुप्ता के स्थान पर वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य सचिव के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है।

हस्ता./-  
(पवन कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव (रिफाइनेरी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**

- i. श्री सौमित्र चौधुरी, सदस्य, योजना आयोग।
- ii. श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- iii. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- iv. प्रोफेसर एल.एम दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली।
- v. प्रो. शांतनु राय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली।
- vi. डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरण्डडी), आईओसीएल।
- vii. श्री शशिकांत, आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे।
- viii. डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- ix. डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई।
- x. श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल।
- xi. श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।

आर-29011/23/2012-ओआर

- xii. श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएएम।
- xiii. डॉ. रशीद हसन, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
- xiv. श्री अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग
- xv. श्री संजय बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- xvi. डॉ. एन.एस. धर्मशाक्तु, डीडीजी (एनएसजी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- xvii. श्री मनोज पारिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग
- xviii. श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सदस्य सचिव
- xix. श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी
- xx. निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- xxi. निदेशक (विपणन), गेल इंडिया लिमिटेड
- xxii. निदेशक (रिफाइनरी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- xxiii. कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन
- xxiv. श्री आर.के. घोष, निदेशक (रिफाइनरी), आईओसीएल
- xxv. मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/सचिव (पीएण्डएनजी) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (पीएण्डएनजी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- xxvi. गार्ड फाइल।

आर-29011/23/2012-ओआर-।  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

19 दिसंबर, 2013

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।**

ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2012 के समसंख्यक का.ज्ञा. और तत्पश्चात) दिनांक 03.06.2013 तथा 18.09.2013 के पत्रों के संदर्भ में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को इस शर्त के साथ 31.03.2014 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है कि आगे समय-सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता./-  
(पवन कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- i. श्री सौमित्र चौधुरी, सदस्य, योजना आयोग।
- ii. श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- iii. श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव (रिफाइनरी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सदस्य सचिव को इस अनुरोध के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित कि सरकार को रिपोर्ट 31.03.2014 तक प्रस्तुत कर दी जाए।
- iv. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- v. डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरण्डडी), आईओसीएल।
- vi. निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- vii. श्री आर.के. घोष, निदेशक (रिफाइनरी), आईओसीएल
- viii. निदेशक (विपणन), गेल इंडिया लिमिटेड
- ix. निदेशक (रिफाइनरी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- x. प्रोफेसर एल.एम दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली।
- xi. प्रो. शांतनु रॉय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली।
- xii. श्री शशिकांत, आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे।
- xiii. डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- xiv. डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई।

- xv. श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल।
- xvi. श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।
- xvii. श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएएम।
- xviii. डॉ. रशीद हसन, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
- xix. श्री अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग
- xx. श्री संजय बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- xxi. डॉ. एन.एस. धर्मशाक्तु, डीडीजी (एनएसजी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- xxii. श्री मनोज पारिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग
- xxiii. श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी
- xxiv. कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- xxv. मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (पीएंडएनजी) के निजी सचिव/सचिव (पीएण्डएनजी) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (पीएण्डएनजी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- xxvi. गार्ड फाइल।

आर-29011/23/2012-ओआर-।  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

18 सितंबर, 2013

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: वाहन ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।**

ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2012 के समसंख्यक का.जा. तथा तत्पश्चात् दिनांक 03.06.2013 के के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 30.11.2013 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

हस्ता./-

(पवन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- i. श्री सौमित्र चौधुरी, सदस्य, योजना आयोग।
- ii. श्री एस. सुंदरेशन, पूर्व सचिव, भारी उद्योग विभाग।
- iii. श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सदस्य सचिव
- iv. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- v. डॉ. आर.के. मल्होत्रा, निदेशक (आरण्डडी), आईओसीएल।
- vi. निदेशक (विपणन), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- vii. श्री आर.के. घोष, निदेशक (रिफाइनरी), आईओसीएल
- viii. निदेशक (विपणन), गेल इंडिया लिमिटेड
- ix. निदेशक (रिफाइनरी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- x. प्रोफेसर एल.एम दास, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली।
- xi. प्रो. शांतनु राय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, दिल्ली।
- xii. श्री शशिकांत, आर. मराठे, निदेशक, एआरएआई, पुणे।
- xiii. डॉ. बी. सेनगुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- xiv. डॉ. लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, टीईआरआई।
- xv. श्री अशोक धर, अध्यक्ष, औद्योगिक विपणन, आरआईएल।
- xvi. श्री आई.वी.राव, कार्यपालक सलाहकार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।

आर-29011/23/2012-ओआर-।

- xvii. श्री के.के. गांधी, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), एसआईएम।
- xviii. डॉ. रशीद हसन, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
- xix. श्री अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग
- xx. श्री संजय बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- xxi. डॉ. एन.एस. धर्मशाक्तु, डीडीजी (एनएसजी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- xxii. श्री मनोज पारिदा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग
- xxiii. श्री बी.डी. घोष, कार्यपालक निदेशक, सीएचटी
- xxiv. कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- xxv. मंत्री (पीएण्डएनजी) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (पीएंडएनजी) के निजी सचिव/सचिव (पीएण्डएनजी) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (पीएण्डएनजी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- xxvi. गार्ड फाइल।

हस्ता/-  
(पवन कुमार)